रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-128/90

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1990/ फाल्गुन 5, 1911

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1990/PHALGUNA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1990

सा. का. नि. 92.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (ग्रुप "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1985 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) ये नियम, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (ग्रुप "ग" और "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 कहलाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (ग्रुप "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची में,

(1) कालम 6(क), 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 को फिर से संख्या देकर क्रमश: कालम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 किया जाएगा।

(2) उपनिदेशक (प्रशासन) के पद से संबद्ध क्रम संख्या 2 के सामने (i) कालम 4 में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि "3700-125-4700-150-5000 रु." प्रतिस्थापित की जाएगी:

(ii) इस प्रकार फिर से संख्यांकित किए गए कालम 10 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :
"लागू नहीं होता";

(iii) इस प्रकार फिर से संख्यांकित किए गए कालम 12 में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"पदोन्नति : पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय में सहायक सचिव और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय के अध्यक्ष के निजी सचिव, जिसकी उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।

टिप्पण. पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने अपने ग्रेड/पद पर निर्धारित योग्यता सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर समान पदों पर कार्य कर रहे हों अथवा

XXVIII. against serial number 28, relating to the post of Collecting Sircar :—

(a) in column 4, for the entry the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 800-15-1010-EB-20-1150" ;

(b) in column 10, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Not applicable" ;

XXIX. against serial number 29, relating to the post of Stencilsmen :—

(a) in column 4, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 800-15-1010-EB-20-1150" ;

(b) in column 10, after the entry, the following shall be inserted, namely :—

"For direct recruits" ;

XXX. against serial number 30, relating to the post of Stamp Counter :—

(a) in column 4, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 775-12-955-EB-14-1050" ;

(b) in column 10, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Not applicable" ;

XXXI. against serial number 31, relating to the post of Despatcher :—

(a) in column 4, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 775-12-955-EB-14-1025" ;

(b) in column 10, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Not applicable" ;

XXXII. against serial number 32, relating to the post of Fireman :—

in column 4, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 775-12-955-EB-14-1025" ;

XXXIII. against serial number 33, relating to the post of Driver :—

(a) in column 4, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 950-20-1150-EB-25-1400" ;

(b) in column 10, for the entry, the following shall be added, namely :—

"For direct recruits" ;

XXXIV. against serial number 34, relating to the post of Addressographer Operator :—

(a) in column 4, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 800-15-1010-EB-20-1150" ;

(b) in column 10, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Not applicable" ;

XXXV. against serial number, 35, relating to the post of Counter :—

(a) in column 4, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 775-12-955-EB-14-1025" ;

(b) in column 10, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Not applicable" ;

[F. No. 22/13/88-AI]

M. L. GOGIA, Desk Officer.

Foot Note :—The Principal Rules were published vide notification GSR No. 674, dated 30-6-1984, in the Gazette of India, Part. II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended by :—

S. No.	G.S.R. No.	Date of Publication of Notification
1.	G.S.R. No. 46	dated 17-1-1987.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1990

सा.का.नि. 119 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में, तकनीशियन के पद से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने,–

(क) स्तंभ 9 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, "नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी,

(ख) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा".

(ग) स्तंभ 12 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"प्रोन्नति : आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में कार्य कर रहे ऐसे मददगार —

(क) जिन्होंने वर्ष में पहली जुलाई को मददगार के रूप में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, और

(ख) जिन्होंने महानिदेशक, आकाशवाणी द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।"

पाद टिप्पण : आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964 सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1776 तारीख 30 नवम्बर, 1964 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। बाद में उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय सं. 704/11/77-बी(डी) तारीख 10 मई, 1979 सा.का.नि. सं. 762 तारीख 2 जून, 1979 द्वारा आंशिक रूप से अधिक्रांत किया गया और भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 704/11/77-बी(डी) तारीख 7-2-81 के अधीन संशोधित किया गया तथा संख्या 310/10/82-बी(डी) तारीख 7 मई, 1985 द्वारा और संशोधन किया गया और संख्या 310/10/82-बी(डी) तारीख 18 अगस्त, 1986 द्वारा संशोधन किया गया तथा संख्या 310/10/82-बी(डी) तारीख 11-8-87 को और संख्या 3/45/88-एस-4(ए) बी.डी. तारीख 22-6-89 को संशोधन किया गया।

[सं. 310/46/39-बी(डी)]

डी. रामगोपाल, निदेशक

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 29th January, 1990

G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C Posts) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group C Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1979, against the post of Technician at S. No. 3.—

   (a) for the entry under column 9, the entry "No" shall be substituted;

   (b) for the entry under column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

   "95% by direct recruitment and 5 per cent by promotion, failing which by direct recruitment";

   (c) for the entry under column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

   "Promotion.—Helpers working in the All India Radio and the Doordarshan Kendras :—

   (a) who have completed 15 years of service as Helper on the 1st of July, of the year; and

   (b) who have passed the departmental test conducted by the Director General, All India Radio".

FOOTNOTE.—All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules 1964 were promulgated vide Ministry of Information and Broadcasting Notification No. GSR 1776 dated 30th November, 1964. Subsequently superseded partially under the Notification of the Government of India in the Ministry of I&B No. 704/11/77-B (D) dated 10th May, 1979 with GSR No. 762 dated 2nd June, 1979 and amended under the Notification of the Government of India in the Ministry of I&B No. 704|11|77-B(D) dated 7-2-81 and further amended under No. 310|10|82-B(D) dated 7th May, 1985 and again amended under No. 310|10|82-B(D) dated 18th August, 1986. Further amended vide Notification No. 310|10|82-B(D) 11th March, 1987 and Notification No. 31451 88 SIV(A)|B(D) dated 22-6-89.

[No. 310/46/89-B (D)]

G. BALAGOPAL, Director

सिविल विमानन और पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1990

सा.का.नि. 120 :—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार उक्त प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 1990 है।

2. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 61 के उपनियम (5) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना के वायु संक्रिया विंग के किसी व्यक्ति को, जो महानिदेशक सिविल विमानन के समाधानप्रद रूप से यह सबूत प्रस्तुत करता है कि उसके पास आवश्यक अनुभव, क्षमता और मानक तकनीकी प्रवीणता है, इस उपनियम में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण से केन्द्रीय सरकार छूट दे सकेगी।"

[सं.ए.वी. 11012/3/89-ए]

ओ.पी. अग्रवाल, अवर सचिव

पादटिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 1 तारीख 26 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी. 26 मार्च, 1937 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVITION

New Delhi, the 30th January, 1990

G.S.R. 120.—The following draft of rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powrs confered by section 5 of the Air craft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required under section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These Rules may be called Air craft (Amendment) Rules, 1990.

2. In the Aircraft Rules, 1937, after the second proviso to sub-rule (5) of rule 61, the following proviso shall be added, namely :—

   "Provided also that any person from the Indian Air Force, Indian Navy or Air Operational Wing of the Indian Army who produces evidence to the satisfaction of the Director General of Civil Aviation that he possesses necessary experience, competency and standard of technical proficiency, may be exempted by the Central Government from any of the tests referred to in this sub-rule".

[No. AV-11012/3/89-A]

O. P. AGGARWAL, Under Secy.

Foot Note :—The Principal Rules were published vide Notification No. V-26 dated the 23rd March, 1937 in the Gazette of India Part I dated 27th March, 1937.